न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)
पीठासीन अधिकारी नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 09/2013
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2013/00055

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता जरिये जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ

(सायल)

बनाम

रामदयाल उर्फ मणी पुत्र देवीलाल, जाति रैगर उम्र 40 साल निवासी अन्ता, तहसील व थाना अन्ता, जिला बारां, (राज0)

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– सहायक लोक अभियोजक (सायल)
2– श्री पिंकेश जगरवाल अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 27.09.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल रामदयाल उर्फ मणी पुत्र देवीलाल, जाति रैगर उम्र 40 साल निवासी अन्ता, तहसील व थाना अन्ता, जिला बारां के विरूद्व थानाधिकारी अन्ता की रिपोर्ट अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया गया है कि पुलिस थाना अन्ता क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसके विरूद्व थाना अन्ता में वर्ष 2001 से 2012 तक की अवधि में कुल 12 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 RPGO, 4/25 Arms Act, एवं 341, 323,34 325,504, IPC के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से 09 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को अनेक प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह आदतन अपराधी की परिभाषा में आता है। इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जाकर इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:52 IST
Reason: SelfAttested

जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से अधिकतम समयावधि हेतु निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासे को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत करते हुए जरिये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल द्वारा स्वयं उपस्थिति दी गई। गैरसायल के द्वारा प्रकरण में जवाब दिनांक 04.09.2013 इस आशय का प्रस्तुत किया गया की गैरसायल को दिया गया नोटिस सर्वथा निराधार विधि न्याय विपरित है, गैरसायल धारा 2(बी) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषा में नही आता है, इस परिभाषा में वर्णित कोई अपराध का मुकदमा न तो अप्रार्थी मुल्जिम के विरूद्ध चला है और न उसे सजायाब किया गया है। गैरसायल के विरूद्ध जारी नोटिस में मुकदमो का विवरण अपूर्ण है, उनकी कोई प्रति एवं फैसला न्यायालय में पेश नही किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध नियम (3)(1) के तहत सक्षम अधिकारीगण को प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा कोई सूचना नही दी गई है, न किसी सूचना को सत्यापित कराया गया है, एवं प्रार्थी से कोई जवाब नही लिया गया है। गैरसायल के विरूद्ध प्रस्तुत प्रतिवेदन एक तरफा है, प्रतिवेदन की कोई जांच नही की गई है, न कोई सत्यात्मक विवरण दिया गया है। प्रार्थी विकलांग व गरीब व्यक्ति है, एवं हदय रोग से पीडित है, एवं पूरा परिवार प्रार्थी पर निर्भर है। अतः गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त की जावें। थाना अन्ता से गैरसायल के वर्तमान चालचलन की रिपोर्ट तलब की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस सहायक लोक अभियोजक सरकारी पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना अन्ता में विभिन्न धाराओं में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दर्ज है। वर्ष 2001 से 2012 में विभिन्न न्यायालयों द्वारा गैरसायल को 09 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने, गैरसायल के चालचलन में कोई सुधार नही होने, गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों निरन्तर बढने से, अप्रार्थी की आम शौहरत भी ठीक नहीं होने, अप्रार्थी का आम जनता में भय एवं आतंक होने एवं अप्रार्थी के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत अभिभाषक गैरसायल द्वारा दौराने बहस कथन किया कि गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा में अंकित लगभग सभी प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किये जा चुके है। वर्तमान में गैरसायल के विरूद्ध केवल 01 प्रकरण लंबित है, तथा गैरसायल के विरूद्ध गत 10 वर्ष से अधिक समय से कोई नया प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है। वर्तमान मे मजदूरी करके शांति पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना, अन्ता द्वारा प्रस्तुत गुण्डा एक्ट की कार्यवाही खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन [illegible] अभिलेखों का अवलोकन किया गया। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना अन्ता में वर्ष [illegible] 2012 तक की अवधि में कुल 12 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 RPGO, [illegible] 325,504, IPC के तहत दर्ज हुये है। जिनमें 09 प्रकरणों में गैरसायल [illegible] चुका है। शेष 03 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। तथा प्राप्त चालचलन रिपोर्ट अनुसार गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2012 के बाद मुकदमा नंबर 392/18 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट, 247/12.08.2013, 278/04.09.2013, 90/14 धारा 13

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है। जिनमें से 03 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया जा चुका है। एवं 01 प्रकरण विचाराधीन है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह साबित होता है कि गैरसायल रामदयाल उर्फ मणी पुत्र देवीलाल, जाति रैगर उम्र 40 साल निवासी अन्ता, तहसील व थाना अन्ता, जिला बारां द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को समस्त आपराधिक प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल रामदयाल उर्फ मणी पुत्र देवीलाल, जाति रैगर उम्र 40 साल निवासी अन्ता, तहसील व थाना अन्ता, जिला बारां को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत थाना क्षेत्र अन्ता, जिला बारां से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल रामदयाल उर्फ मणी पुत्र देवीलाल, जाति रैगर उम्र 40 साल निवासी अन्ता, तहसील व थाना अन्ता, जिला बारां को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना अन्ता, जिला बारां क्षेत्र से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना सीमल्या जिला कोटा (ग्रामीण) को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 10.10.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीर जिला मजिस्ट्रेट, कोटा/जिला पुलिस अधीक्षक, बारां/कोटा (ग्रामीण) थानाधिकारी पुलिस थाना सीमल्या जिला कोटा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना अन्ता, जिला बारां को भिजवायी जावे। थानाधिकारी अन्ता, जिला बारां को निर्देशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना अन्ता, जिला बारां क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमल्या जिला कोटा के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट,बारां

जिला मजिस्ट्रेट
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.19 13:47:52 IST
Reason: SelfAttested